भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -28
उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025
सोमवार, 30 आषाढ़, 1947 (शक)

एनएसडीसी और पीएमकेवीवाई योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी

28. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित प्रशिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, साथ ही वार्षिक प्रशिक्षक-से-लाभार्थी अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास एनएसडीसी में केवल 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यदि हाँ, तो सरकार विशेष रूप से निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाले बोर्ड के साथ निर्णय लेने में पर्याप्त निगरानी और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है;

(ग) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता और एकरूपता में सुधार के लिए सरकार द्वारा, विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ धनराशि जारी करने में देरी, तकनीकी चुनौतियाँ और खराब प्लेसमेंट परिणाम हैं, प्लेसमेंट डेटा सहित राज्य-वार क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) सरकार लाभ कमाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए समावेशिता और पहुँच सुनिश्चित करने हेतु एनएसडीसी की सहायता की निगरानी और विनियमन किस प्रकार करती है;

(ङ) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एनएसडीसी और पीएमकेवीवाई योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का प्रथम वर्ष और वर्षवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या ये कार्यक्रम वास्तविक उद्योग कौशल अंतराल के अनुरूप हैं और लाभार्थियों की आजीविका में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से क्रियान्वित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत, पिछले दस वर्षों में 1.6 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है और दिनांक 30.06.2025 तक इनमें से 1.29 करोड़ को प्रमाणित किया जा चुका है। एनएसडीसी के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 1.74 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। एनएसडीसी ने पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाओं के माध्यम से 2.32 लाख से अधिक प्रशिक्षकों को प्रमाणन प्रदान किया है। प्रशिक्षक-से-लाभार्थी अनुपात प्रशिक्षण के प्रकार, बैच आकार, क्षेत्र मानदंडों और भूगोल के आधार पर भिन्न होता है।

(ख) हाँ, एनएसडीसी में सरकार की 49% हिस्सेदारी है। निजी क्षेत्र की अधिकांश हिस्सेदारी के बावजूद, एनएसडीसी के बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासकीय निगरानी की जाती है।

(ग) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता और एकरूपता में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पीएमकेवीवाई 4.0 जो गुणवत्ता, उद्योग प्रासंगिकता और लचीलेपन पर ज़ोर देती है, की शुरुआत। इसके साथ ही, इस योजना के एसटीटी घटक में ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) को भी शामिल किया गया है।

ii. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ संरेखित हैं जो उम्मीदवारों के लिए बेहतर रोज़गार क्षमता सुनिश्चित करता है।

iii. मानकीकरण के लिए एक समान लागत मानदंड ढाँचे का कार्यान्वयन।

iv. कौशल भारत डिजिटल हब (एसआईडीएच) जो प्रशिक्षण के पूरे जीवन-चक्र का दस्तावेजीकरण करती है, के माध्यम से डिजिटल निगरानी की जाती है ।

v. आधार-आधारित नामांकन, बायोमेट्रिक उपस्थिति को लागू करके और यह सुनिश्चित करके कि प्रशिक्षण केवल प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाए और प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया जाए, प्रशिक्षण जीवन-चक्र में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त, जियोटैगिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और डैशबोर्ड के जरिए वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाया गया है।

(घ) सरकार कौशल भारत गुणता आश्वासन ढांचे के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के लिए प्रत्यायन और संबद्धता मानदंडों और एसआईडीएच के जरिए योजना की डेटा-संचालित निगरानी के माध्यम से लाभकारी प्रशिक्षण संस्थानों को एनएसडीसी के समर्थन की निगरानी और विनियमन करती है। ई-केवाईसी आधारित नामांकन, आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति, शिकायत निवारण प्रणाली, प्रदर्शन लेखा परीक्षा, प्रभाव आकलन और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन जैसी प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाता है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और भौतिक और आभासी मोड के माध्यम से टीसी की निगरानी की जा रही है। अनुपालन नहीं करने वाले टीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, ब्लैकलिस्ट करना, निलंबन, वित्तीय वसूली आदि जैसी कानूनी कार्रवाई की जाती है।

पीएमकेवीवाई पूरे देश में लागू है और इसका लाभ सीमांत समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों को मिलता है। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, लक्षित पहुँच, उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम और डिजिटल खाई को पाटने के लिए भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरुआत के माध्यम से सीमांत समुदायों के उम्मीदवारों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, समान कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ भौगोलिक

विस्तार को अनिवार्य करके, विशेष परियोजनाओं के तहत समर्पित प्रयासों और आकांक्षी तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के लिए विशिष्ट आवंटनों के माध्यम से सुगम्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ङ) पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए एमएसडीई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1538.29 करोड़ रुपये जारी किए। एनएसडीसी द्वारा प्रशिक्षण भागीदारों को वितरित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्नक-I में दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(च) पीएमकेवीवाई के तहत एमएसडीई ने बाजार संरेखित कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई रणनीतिक पहल की हैं। इन प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय, राज्य/ज़िला स्तरों, ज़िला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) और प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग-विशिष्ट इनपुट पर किए गए नियमित कौशल अंतराल अध्ययनों से प्राप्त अंतर्दृष्टि के माध्यम से नौकरी की माँग का व्यापक मानचित्रण किया जाता है।

ii. सभी नौकरी भूमिकाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम उभरते बाज़ार रुझानों और भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुकूल हो।

iii. ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) इस योजना का एक अभिन्न अंग है जो उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है और उन्हें वास्तविक दुनिया के कार्यबल परिदृश्यों के लिए तैयार करता है।

iv. राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और योग्यता पैक (क्यूपी) बदलती उद्योग माँगों के अनुरूप नियमित रूप से संशोधित होते रहते हैं।

v. नियोक्ता प्रतिक्रिया के एकीकरण और प्लेसमेंट परिणामों के विश्लेषण के माध्यम से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाता है।

vi. पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत भविष्य के लिए तैयार क्षेत्रों में रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, 5जी और डेटा एनालिटिक्स में नौकरी की भूमिकाएँ शुरू की गई हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 21.07.205 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनएसडीसी द्वारा पीएमकेवीवाई के अंतर्गत वितरित धनराशि का राज्यवार विवरण।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.84
2	आंध्र प्रदेश	15.95
3	अरुणाचल प्रदेश	5.41
4	असम	42.21
5	बिहार	62.33
6	चंडीगढ़	0.57
7	छत्तीसगढ	8.37
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.90
9	दिल्ली	19.50
10	गोवा	0.07
11	गुजरात	18.79
12	हरियाणा	58.23

13	हिमाचल प्रदेश	14.46
14	जम्मू और कश्मीर	69.30
15	झारखंड	19.71
16	कर्नाटक	33.19
17	केरल	4.36
18	लद्दाख	0.59
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	205.84
21	महाराष्ट्र	44.44
22	मणिपुर	10.08
23	मेघालय	4.36
24	मिजोरम	2.75
25	नागालैंड	4.27
26	ओडिशा	14.31
27	पुदुचेरी	1.24
28	पंजाब	104.17
29	राजस्थान	292.42
30	सिक्किम	1.26

31	तमिलनाडु	63.08
32	तेलंगाना	11.07
33	त्रिपुरा	8.94
34	उत्तर प्रदेश	352.64
35	उत्तराखंड	26.37
36	पश्चिम बंगाल	16.28
	कुल योग	**1,538.29**

****